पत्र सं0 :– 26/विविध–06–20/2025.....6281.....

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

आदेश 14/11/25

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सिवान परिक्षेत्राधीन सारण नहर प्रमण्डल, मैरवा के अंतर्गत एकरारनामा सं0 01SBD/2017–18 दिनांक 01.02.2018 के तहत हथुआ शाखा नहर के सेवापथ के पक्कीकरण कार्य में बरती गयी अनियमितता के लिए संवेदक मेसर्स रामजी सिंह एण्ड कम्पनी को विभागीय आदेश सं0 3441 दिनांक 24.07.2025 द्वारा 05 वर्षों के लिए कालीसूची में डाला गया। उक्त आदेश के विरूद्ध संवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में CWJC N0 14191/2025 दायर किया गया जिसमें पारित आदेश (दि0 15.09.2025) के अनुपालन में शीघ्र निष्पादन हेतु दिनांक 29.10.2025 एव 13.11.2025 को सुनवाई की गयी, जिसमें संवेदक प्रतिनिधि श्री महेन्द्र सिंह तथा विभागीय अभियंतागण उपस्थित रहे।

संवेदक के द्वारा अभ्यावेदन में उठाये गये बिन्दुओं के अतिरिक्त मौखिक रूप से निम्न दो बिन्दुओं को रखा गया :–

I. उड़नदस्ता द्वारा उनकी उपस्थिति में जांच नहीं की गयी।

II. उड़नदस्ता द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के जिस अंश में GSB कार्य किए जाने का उल्लेख है। उक्त अंश में प्राक्कलन के अनुसार उनको GSB का कार्य नहीं करना था।

2. पिछली तिथि में दिये गये निदेश के क्रम में मुख्य अभियंता द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उडनदस्ता द्वारा संवेदक प्रतिनिधि श्री नागेन्द्र प्रताप सिंह की उपस्थिति में स्थलीय जॉच की गई। उनके द्वारा श्री नागेन्द्र प्रताप सिंह के उक्त तिथि में उपस्थित रहने का छाया चित्र भी संलग्न किया गया है। यद्यपि श्री महेन्द्र सिंह ने आज कहा कि श्री नागेन्द्र प्रताप सिंह संवेदक के प्राधिकृत प्रतिनिधि नहीं है, परन्तु अभिलेखों से यह स्पष्टतया दिखाई पड़ रहा है कि उडनदस्ता की जॉच के तिथि के दिन संवेदक को उपस्थित होने का निदेश भेजा गया था तथा इस क्रम में श्री नागेन्द्र प्रताप सिंह उपस्थित हुए । आज की सुनवाई में कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, मैरवा ने भी बताया कि पूर्व में कार्य के क्रम में भी श्री नागेन्द्र प्रताप सिंह आया करते थें। अतः संवेदक का अपील का यह बिन्दु कि उनकी उपस्थिति में जॉच नहीं की गई Established नहीं हो रहा है।

3. मुख्य अभियंता ने अपने प्रतिवेदन में जॉचोपरान्त यह भी अंकित किया है कि वर्तमान संवेदक के द्वारा क्रमश कि0मी0 27.439, कि0मी0 41.158 एवं कि0मी0 49.690 पर

GSB कार्य कराया गया है और यह तथ्य मापी पुस्तिका के अवलोकन से भी उजागर हो रहा है। मापी पुस्तिका अवलोकन करने से यह स्पष्टतया परिलक्षित भी हुआ। उल्लेखनीय है कि उक्त GSB कार्य 175 mm मोटाई में किया जाना था, जिसके विरूद्ध उडनदस्ता जॉच में 154.11 mm औसत मोटाई पाया गया तथा इसके ऊपर Black Topping भी है, जिससे संवेदक को इस संभावना का लाभ नहीं मिल सकता कि वाहनो के परिचालन के कारण GSB में क्षति हो गई हो। अतः पिछली तिथि में संवेदक प्रतिनिधि द्वारा किया गया यह दावा कि उडनदस्ता के प्रतिवेदन के जिस अनुभाग में GSB कार्य किये जाने का उल्लेख है उसमें प्राक्कलन के अनुसार उनको GSB कार्य नहीं करना था – यह भी Established नहीं होता है।

4. इसके अतिरिक्त अपील अभ्यावेदन का भी पुनः विस्तार से अवलोकन किया, इसमें उक्त दोनों बिन्दुओ के अतिरिक्त अपीलकर्ता ने MoRTH के गुण नियंत्रण संबंधी अनुदेशो में Section- 900 का जिक्र करते हुए उल्लेख किया गया है कि Sub Grade कार्य के लिए Tolerance +20mm से –25 mm होता है।

इस संबंध में विभागीय प्रतिवेदन में कहा गया है कि यह कार्य Sub Grade का नहीं वरन् Sub Base का है, जिसमें उक्त Section- 900 के अनुसार Tolerance $\pm$ 10 mm ही अनुमान्य है और वर्तमान Deviation इससे ज्यादा है।

5. अभियंता प्रमुख, मुख्यालय के द्वारा 05 वर्ष के लिए कालीकृत करने का दण्ड अधिरोपित किया गया है, जबकि प्रावधान के अनुसार यह सीमा इस प्रकार की अनियमितता के लिए 10 वर्ष की है।

6. इस विषय में यह भी उल्लेखनीय है कि जिन अभियंताओं के देख–रेख में कार्य कराया गया था उनके विरूद्ध भी अनुशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट हो रहा है कि – अपील अभ्यावेदन में उठाये गये तीनों प्रमुख आधार –

(1) संवेदक की उपस्थिति में जाँच नहीं की गई।

(2) संवेदक को उक्त स्थल पर कार्य नहीं करना तथा

(3) Tolerance के Norms के गुण नियंत्रण के अधीन कार्य किया गया है। – तीनों ही स्थापित नहीं हो रहे हैं।

ऐसी परिस्थिति में प्रश्नगत कालीकरण आदेश में Interference करने का कोई आधार नहीं बनता है तथा अपील खारिज की जाती है।

14/11/15

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव

निबंधित

ज्ञापांकः– 26/विविध–06–20/2025 6281 पटना/दिनांक :14/11/25

प्रतिलिपि :– संवेदक मेसर्स रामजी सिंह एण्ड कम्पनी, प्रो0– श्री अशोक कुमार सिंह, ग्राम– रामपुर, पो0–बड़हरा, जिला– भोजपुर, पिन–802311 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/11/25

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांकः– 26/विविध–06–20/2025 6281 पटना, दिनांक :14/11/25

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/11/25

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांकः– 26/विविध–06–20/2025 6281 पटना, दिनांक :14/11/25

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण यो0 एवं मो0, अंचल, पटना/अधीक्षण अभियंता, यो0 एवं मो0, अंचल–2,3,4, पटना/निदेशक, क्रय भंडार एवं सामाग्री प्रबंधन, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/11/25

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांकः– 26/विविध–06–20/2025 6281 पटना, दिनांक :14/11/25

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, प्रभारी आई0टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14/11/25

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।